**राजस्थान सरकार**

**स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर**

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

कमांक : भूमि / एफ.7(ड)(313)डीएलबी / 17 / 1829 दिनांक :– 08/05/2018

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

मंत्रीमण्डल सचिवालय,

राज. जयपुर।

विषयः– कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को 1.47 हैक्टर (5 बीघा 15 बिस्वा) भूमि निःशुल्क आवंटन करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयन्तर्गत निवेदन है कि समसंख्यक मंत्रीमण्डल ज्ञापन सं. 1827 **दिनांक** 08.05.18 की 45 प्रतियां (सैट) मय विभागीय मूल पत्रावली सं. भूमि / एफ.7(ड) (313) डीएलबी / 17 / के संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

**संलग्नः**– 1. विभागीय मूल पत्रावली मय नोटशीट एक।
2. मंत्रीमण्डल ज्ञापन सं. 1827 दिनांक 08.05.18 की 45 प्रतियां ।

भवदीय,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

अति–गोपनीय
प्रति क्रमांक................

# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–भूमि/एफ.7(ड)( 313 )डीएलबी/2017/1827 जयपुर, दिनांक 08/05/2018

**मंत्री मण्डल ज्ञापन**

विषयः– कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को 1.47 हैक्टर (5 बीघा 15 बिस्वा) भूमि निःशुल्क आवंटन करने बाबत्।

1. नगर पालिका खैरथल (अलवर) ने पत्र दिनांक 11.12.2017 द्वारा फल एवं सब्जी मण्डी विकसित करने हेतु पालिका स्वामित्व की भूमि आराजी खसरा नं. 2080 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 2081 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 2082 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नं. 2083 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 2084 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 1.47 हैक्टेयर (5 बीघा 15 बिस्वा) कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल को निःशुल्क आवंटन करने का प्रस्ताव भेजा है। (परिशिष्ट–1)
2. उक्त भूमि आवंटन करने के लिये भू–आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें भूमि आवंटन का उद्देश्य कस्बे में फल–सब्जी मण्डी यार्ड विकसित करना अंकित किया है (परिशिष्ट –2)
3. नगर पालिका मण्डल बैठक दिनांक 11.12.2017 के प्रस्ताव संख्या 2 में उक्त 1.47 हैक्टेयर (5 बीघा 15 बिस्वा) भूमि फल एवं सब्जी मण्डी विकसित करने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल को निःशुल्क आवंटन करने की सहमति प्रदान की है। (परिशिष्ट–3)
4. उक्त भूमि फल एवं सब्जी मण्डी के उपयोग हेतु तकनिकी रूप से उचित है। मास्टर प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर चौडी सडक पर स्थित है। प्रस्तावित मुख्य भू–उपयोग थोक व्यापार केन्द्र के अधीन स्टोन मण्डी हेतु सम्पूर्ण क्षेत्रफल 28 हैक्टेयर है तथा इसी सम्पूर्ण भूमि में से 1.47 हैक्टेयर भूमि (5 बीघा 15 बिस्वा) फल एवं सब्जी मण्डी हेतु प्रस्तावित है, जो कि भू–उपयोग की दृष्टि से अनुज्ञेय है।

5. भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 9 में राजकीय विभागो/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। निःशुल्क भूमि आवंटन के लिये मंत्री मण्डल की स्वीकृति अपेक्षित है। (परिशिष्ट –4)
6. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कस्बे में पूर्व में स्थित फल एवं सब्जी मण्डी रेलवे फाटक के पास सघन क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रस्तावित स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिये प्रस्ताव को उचित मानते हुए माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पत्रावली पर प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को उक्त प्रस्तावित भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की मंत्री मण्डल अनुमोदन की प्रत्याशा में सैद्वान्तिक स्वीकृति का पत्र दिनांक 27.12.2017 नगर पालिका खैरथल को जारी किया। (परिशिष्ट –5)
7. आज्ञापक सूची परिशिष्ट–6 पर संलग्न है।
8. प्रकरण राज्य सरकार के भूमि आवंटन नीति से संबंधित होने व इसमें वित्तीय बिन्दु निहित नहीं होने के कारण वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
9. प्रकरण राज्य सरकार के भूमि आवंटन नीति से संबंधित होने व इसमें सेवा संबंधी बिन्दु निहित नहीं होने के कारण कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
10. प्रकरण राज्य सरकार के भूमि आवंटन नीति से संबंधित होने व इसमें विधि संबंधी बिन्दु निहित नहीं होने के कारण विधि विभाग की टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
11. पत्रावली पर माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग मुख्य सचिव व माननीय मुख्यमंत्री महोदया के अनुमोदन (परिशिष्ट–7) की पालना में प्रकरण में मंत्री मण्डल ज्ञापन प्रस्तुत है।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव

30 ③
परिशिष्ट-1

# कार्यालय नगर पालिका मण्डल, खैरथल (अलवर) राज0

क्रमांक : 3614

दिनॉक 11/12/17

श्रीमान निदेशक महोदय,

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

विषय :– प्रस्तावित फल एवं सब्जी मण्डी के विकसित हेतु भूमि आवंटन की स्वीकृति बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पालिका बैठक कमांक नपाखै/17/3604-13 दिनांक 11.12.2017 के बिन्दु संख्या 02 में लिये गये निर्णय अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में फल एवं सब्जी मण्डी विकसित करने हेतु पालिका स्वामित्व की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2080 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2081 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 2082 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 2083 रकबा 0.39 है0 एवं खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.37 है0 कुल किता 04 रकबा 1.47 है0 (5 बीघा 15 बिस्वा) को कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को निशुल्क आवंटन किया जाना है जिसमें श्रीमानजी के स्तर पर स्वीकृति दी जानी है ।

अतः उक्त आराजी भूमि 5 बीघा 15 बिस्वा पर फल एवं सब्जी मण्डी विकसित करने हेतु निशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने का श्रम फरमावें।

संलग्न :– मण्डल बैठक की प्रति ।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका खैरथल

Land P
12/12

(4)
56
परिशिष्ट-2

प्रपत्र-स

# सरकारी विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

1. विभाग/संगठन का नाम :- कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल
2. प्रार्थी का नाम व पदनाम(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) :- रामविलास यादव (सचिव)
3. डाक पता, टेलीफोन न., मोबाईल न. व मेल आई.डी. :- कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति नई अनाज मण्डी, खैरथल
   टेलीफोन न. - 01460-222112 मो.न. - 9414321415
   ई-मेल आई.डी. - kums.khairth@rajasthan.gov.in
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य :- खैरथल में फल-सब्जी मण्डी यार्ड विकसित करना
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण :- खसरा न. 2080 से 2084 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर (5बीघ 15 बीसवा)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) :- 14700 वर्ग मीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश :- खैरथल में फल-सब्जी मण्डी विकसित कर किसान वर्ग को लाभ पहुँचाना है।
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-
   i प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रति :- निदेशक कृषि विपणन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.48/निकृवि/भू.अ./खैरथल/2017/41653-54 दिनांक 27.11.17 (छाया प्रति संलग्न है)
   ii चाही गई भूमि बाबत विभागीय मानक(Norms) :- प्रस्तावित भूमि पर फल-सब्जी मण्डी निर्माण हेतु 05 बीघा 15 बीसवा (1.47 हैक्टेयर) की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर का पत्रांक 49384 दिनांक 16.01.2018 के अनुसार निःशुल्क भूमि प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए है।
   iii वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरण :- निःशुल्क भूमि प्राप्त की जानी है। अतः वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता नही है।
   iv प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) :- 1. कार्यालय भवन 2. कॅवर्ड नीलामी चबूतरा 3. क्योस्क मय वाटर हट 2 नग 4. वाटर सप्लाई स्कीम ओवरहेड टैंक सहित 5. चार दिवारी मय चैक-पोस्ट 6. यूरिनल ब्लॉक/सुलभ कोम्पलेक्स 7. किसानो एवं हमालों के लिए विश्राम हेतु टीनशेड 8. वाहन पार्किंग व्यवस्था 9. आन्तरिक सडकें 10. दुकान मय गोदाम प्लेटफार्म सहित साईज 20'×40'+10' 11. दुकान प्लेटफार्म सहित साईज 12'3"×20'+10', 12. सण्डरी शॉप्स उपलब्ध स्थान अनुसार

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाऐं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नही छुपाया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता की शर्तो/निर्देशों व उपविधियों आदि की समस्त शर्तो की पूर्णतया पालना करेगा। शर्तो की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाली शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :- 28.02.2018
स्थान :- खैरथल

(रामविलास यादव)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
"विशिष्ट श्रेणी" खैरथल

परिशिष्ट-3 (5) 32

# कार्यालय नगर पालिका मण्डल, खैरथल (अलवर) राज0

क्रमांक : न0पा0खै/17/3604-13 दिनॉक : 11/12/17

## बैठक कार्यवाही विवरण

नगरपालिका मण्डल, खैरथल की साधारण सभा का आयोजन आज दिनॉक 11.12.2017 को प्रातः 09.30 बजे नगर पालिका सभा भवन में श्रीमती मीना जाटव, अध्यक्ष, नगरपालिका की अध्यक्षता में किया गया । बैठक में निम्न सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमान रामहेत सिंह जी | – विधायक |
| 2. | श्रीमती मीना जाटव | – अध्यक्ष |
| 3. | श्री हरीश रोघा | – उपाध्यक्ष |
| 4. | श्रीमती मुनेश बाई | – सदस्य |
| 5. | श्री ओमदत्त | – सदस्य |
| 6. | श्रीमती राधा बाई | – सदस्य |
| 7. | सुश्री हेमरितु | – सदस्य |
| 8. | श्रीमती मनीषा | – सदस्य |
| 9. | श्री लोकेश कुमार | – सदस्य |
| 10. | श्रीमती कान्ता देवी | – सदस्य |
| 11. | श्रीमती अनिता देवी | – सदस्य |
| 12. | श्रीमती रेखा शर्मा | – सदस्य |
| 13. | श्री अशोक डाटा | – सदस्य |
| 14. | श्री भरत कुमार | – सदस्य |
| 15. | श्रीमती मंजू कुमारी | – सदस्य |
| 16. | श्री जसपाल सिंह | – सदस्य |
| 17. | श्री विक्रम सिंह चौधरी | – सदस्य |
| 18. | श्री सुनील कुमार | – सदस्य |
| 19. | श्रीमती दीपा रानी | – सदस्य |
| 20. | श्रीमती इन्दु शर्मा | – सदस्य |
| 21. | श्री सुमित रोघा | – सदस्य |
| 22. | श्री राजेश कुमार | – सदस्य |
| 23. | श्री बनवारी लाल | – सदस्य |

24. श्री महादेव प्रसाद सैनी — सदस्य
25. श्री पंकज कुमार आर्य — सदस्य
26. श्री कृष्ण कुमार यादव — मनोनीत सदस्य
27. श्री विनोद वलेचा — मनोनीत सदस्य

सदस्यो की उपस्थिति व कोरम पूर्ण होने के पश्चात सदन की कार्यवाही निर्देशानुसार प्रारम्भ की गई ।

बिन्दु संख्या 1: गत बैठक की पुष्टि :— आसन की ओर से सदस्यो से गत बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का अनुरोध किया गया । बाद विचार विमर्श सर्वसम्मत निर्णय से गत बैठक की पुष्टि की गई ।

बिन्दु संख्या 2: सब्जी मण्डी हेतु भूमि आवंटन पर चर्चा :— अधिशाषी अधिकारी द्वारा सदन के समक्ष जानकारी दी गई कि बोर्ड बैठक दिनांक 08.05.2017 बिन्दु संख्या 03 में लिये गये निर्णय अनुसार सब्जी मण्डी विकसित करने हेतू कृषि उपज मण्डी समिति से तकनीकी सहयोग लिया जाकर ले–आउट प्लान बनवाया जाकर नगरपालिका स्तर पर नीलामी की कार्यवाही की जाकर कब्जा कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को दिया जावे। इस सम्बन्ध में पालिका पत्र कमांक 2562 दिनांक 10.10.2017 द्वारा खसरा नम्बर 2080 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2081 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 2082 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 2083 रकबा 0.39 है0 एवं खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 1.47 है0 (05 बीघा 15 बिस्वा) भूमि पर सब्जी मण्डी विकसित करने हेतू स्वीकृति के लिये श्रीमान निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर को भिजवाया गया था। इस सम्बन्ध में श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर से निर्देश प्राप्त हुए कि सब्जी मण्डी विकसित करने की स्वीकृति हेतू विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) एवं ले–आउट प्लान बनाया जाकर भिजवाया जाये एवं उक्त योजना नगरपालिका के आर्थिक हित में किस प्रकार होगी, इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जावे । इस पर कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को पालिका द्वारा पत्र कमांक 2518 दिनॉक 08.10.2017 प्रेषित कर नक्शा, ले आउट प्लान व कॉन्टूर प्लान व टोटल स्टेशन सर्वे प्लान उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया । इस सम्बन्ध में कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा अपने पत्र कमांक 2120 दिनॉक 29.11.2017 प्राप्त हुआ जिसमें राज्य सरकार द्वारा खैरथल में फल एवं सब्जी मण्डी स्थापित करने के लिये सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई परन्तु सब्जी मण्डी हेतु पालिका से निशुल्क भूमि की मॉग की गई है । जिस पर सदस्यगण विचार कर निर्णय करे ।

बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खसरा नम्बर 2080 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2081 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 2082 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 2083 रकबा 0.39 है0 एवं खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 1.47 है0 (05 बीघा 15 बिस्वा) भूमि पर सब्जी मण्डी विकसित करने हेतू निशुल्क दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

परिशिष्ट-4

9. राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन :–

9.1 ऐसी आवेदक संस्था, यदि वह राज्य सरकार का कोई राजकीय विभाग है अथवा उपक्रम है तो वह भूमि आवंटन के लिए प्रारूप–'स' में आवेदन के साथ आवश्यक सूचना प्रस्तुत करेगा।

9.2 राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम आदि को भूमि की आवश्यकता होने पर स्थानीय निकाय के द्वारा भूमि प्राथमिकता से आवंटन की जावेगी।

9.3 राजकीय विभागों को भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जावेगी। राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर (50 प्रतिशत से कम नहीं) राशि पर आवंटन किया जा सकता है, जिसके लिए भी विभाग से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

9.4 राजकीय विभाग को भूमि की आवश्यकता होने पर अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से नगरीय विकास विभाग/स्वायत्त शासन विभाग को पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, उद्देश्य एवं समय सीमा उल्लेखित हो, के साथ भिजवाना होगा।

9.5 संबंधित प्राधिकरण, न्यास, आवासन मण्डल व नगरपालिकाओं द्वारा राजकीय विभागों को भूमि बिना किसी विलम्ब के आवंटन करने की कार्यवाही की जावेगी।

9.6 आवेदित भूमि जिस उपयोग के लिए चाही जा रही है वह मास्टर प्लान में अंकित भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय होना चाहिए अन्यथा भू–उपयोग परिवर्तन के नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात् ही भूमि आवंटन पर विचार हो सकेगा।

9.7 उक्त प्रावधानों के किसी भी बिन्दु में छूट/शिथिलता राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेगी।

(8)

परिशिष्ट-5 47

# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
## निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः भूमि / प.7(ड़)(313)डीएलबी / 17 / खैरथल / दिनांक :

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, खैरथल।

विषयः– प्रस्तावित फल एवं सब्जी मण्डी के भूमि विकास एवं आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।
सन्दर्भः– आपके पत्र क्रमांक 2563 दिनांक 10.10.2017 एवं पत्र कमांक 3776 दिनांक 21.12.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि नगर पालिका, खैरथल द्वारा मण्डल की बैठक दिनांक 11.12.2017 के बिन्दु संख्या 2 में लिये गये निर्णय अनुसार नगर में पूर्व में स्थित फल एवं सब्जी मण्डी रेलवे फाटक के पास सघन क्षेत्र में स्थित होने के कारण उचित स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में पालिका स्वामित्व की भूमि आराजी खसरा नं. 2080 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 2081 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 2082 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नं. 2083 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 2084 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.47 हैक्टेयर अर्थात 5 बीघा 15 बिस्वा को कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

विषयाधीन फल एवं सब्जी मण्डी हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि खैरथल नगरीय क्षेत्र मास्टर प्लान–2021 में मण्डी जोन में स्थित है, तथा भूमि का उपयोग मुख्यतया थोक व्यापार दर्शाया गया है। मण्डी जोन में इसी भूमि के समीप पूर्व विकसित कृषि उपज मण्डी भी विद्यमान है। अतः उक्त प्रस्तावित भूमि फल एवं सब्जी मण्डी के उपयोग हेतु तकनीकी दृष्ट्या उचित है। उक्त भूमि मास्टर प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है, तथा प्रस्तावित मुख्य भू–उपयोग थोक व्यापार केन्द्र के अधीन स्टोन मण्डी हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षेत्रफल 28 हैक्टेयर है, तथा इसी सम्पूर्ण भूमि मे से 1.47 हैक्टेयर भूमि फल एवं सब्जी मण्डी हेतु प्रस्तावित है, जो कि भू–उपयोग की दृष्टि से अनुज्ञेय है।

अतः राज्य सरकार एतत्द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि का फल एवं सब्जी मण्डी हेतु कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को निःशुल्क आवंटन किये जाने की मंत्रीमण्डल अनुमोदन की प्रत्याशा में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करती है।
**उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

Sd

(मुकेश कुमार मीणा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांकः भूमि / प.7(ड़)(313)डीएलबी / 17 / खैरथल / 4266–71
दिनांक : 27.12.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग,राजस्थान।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- जिला कलक्टर, अलवर।
- क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
- अध्यक्ष, नगर पालिका, खैरथल।
- सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D:\A Computer Data\F\R.K. VIJAYVARGIA (STP)\Letters\STP General Letter.docx

(9)

अति गोपनीय

परिशिष्ट 6

# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–भूमि/एफ.7(ड)( 313 )डीएलबी/2017/1828 जयपुर, दिनांक 08/05/2018

**आज्ञापक कियान्वयन अनुसूची**

| क.सं. | अपेक्षित निर्णय का सार | निर्णय से होने वाले सम्भावित लाभ एवं उपलब्धियॉं | समयावधि एवं निर्णय कियान्वयन पद्धति तथा उसकी रिर्पोटिंग |
|---|---|---|---|
| 1. | नगर पालिका खैरथल (अलवर) के प्रस्ताव के कम में फल एवं सब्जी मण्डी यार्ड विकसित करने हेतु पालिका स्वामित्व की भूमि आराजी खसरा नं. 2080 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 2081 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 2082 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नं. 2083 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 2084 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 1.47 हैक्टेयर (5 बीघा 15 बिस्वा) भूमि कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल को निःशुल्क आवंटन करने बाबत। | क्षेत्र में पूर्व से स्थित फल एवं सब्जी मण्डी रेलवे फाटक के पास सघन क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रस्तावित स्थान पर स्थानान्तरित होने से फल एवं सब्जी व्यापार सुविधा जनक होगा तथा व्यापारियों एवं काश्तकारों को लाभ मिलेगा। | मंत्री मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में नगर पालिका, खैरथल एवं कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल को तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावेगा। |

(नवीन महाजन)
शासन सचिव

4

(परिशिष्ट-7)

# कार्यालय टिप्पणी
# NOTE SHEET

46

नगरपालिका खैरथल (अलवर) के पत्र दिनांक 11.12.2017 द्वारा फल एवं सब्जी मण्डी विकसित करने हेतु पालिका स्वामित्व की भूमि आराजी खसरा नं. 2080 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 2081 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 2082 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नं. 2083 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 2084 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 1.47 हैक्टेयर (5 बीघा 15 बिस्वा) कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को निःशुल्क आवंटन करने के प्रेषित प्रस्ताव पर पैरा 31--37/एन के स्वीकृति अनुसार मंत्री मण्डल अनुमोदन की प्रत्याशा में विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक 27.12.17 (पृष्ठ 47/सी) जारी किया गया।

47

उक्त प्रकरण मंत्री मण्डल में निर्णयार्थ रखने के लिए मंत्री मण्डल ज्ञापन तैयार कर मंत्री मण्डल से (जरिये सरकूलेशन) अनुमोदन हेतु प्रारूप अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

6/3/18
(मदन कुमार शर्मा)
सलाहकार

48 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी — 6/3/18 अशोक कुमार सिंह Sr. Jt. LR

49 अतिरिक्त निदेशक — 7/3

50 निदेशक एवं संयुक्त सचिव — Pawan Arora, Director Cum Joint Secy. L.S.G.D.

प्रमुख शासन सचिव, स्वा०शा० विभाग — 7/3/18 (Dr. Manjit Singh) Pr. Secy. LSG

(51) माननीय मंत्री महोदय, स्वा०शा० विभाग — 12-03-18

(52) मुख्य सचिव महोदय — 18/3 (Nihal Chand Goel) Chief Secretary

(53) माननीय मुख्य मंत्री महोदया — 27/4

(54) ACS-LSG — 27/4/18 (MUKESH SHARMA) Addnl Chief Secy LSG

(55) DLB

(56) AD — URGENT — 30/4 — LP

57 पैरा 46-55/N को जो क्रम में मैजी मण्डल आपका एवं आवश्यक क्रियान्वयन अनुसूची के प्रारूप अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

30-04-18

58 Adl. Dir.

30/4

मुकेश कुमार मीना, Adl. DLB

59 DLB, S/o

60 Secy. LSG. Sir.

sd

Pawan Arora
Director Cum Joint Secy.
L. S. G. D.

4/5/18

Naveen Mahajan
Secretary, L&G

225 30-04-18

DLB.

1-5-18 7-5-18

7/5

7/5

2P